

प्रधान मंत्री, अर्थ शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा मांझी) : मैं प्रस्ताव पेश करती हूँ कि :

“चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 प्रारूप पर, जो 21 अप्रैल, 1969 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।”

मुझे प्रसन्नता है कि मैं योजना पर बहस आरम्भ कर रही हूँ और माननीय सदस्यों तथा उनके द्वारा जनता के विचार जानना चाहती हूँ। हम 18 वर्षों से नियोजित आधार पर आर्थिक विकास कर रहे हैं। योजना हमारे आर्थिक जीवन का अंग बन गई है जैसे कि मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र चुनाव हमारे राजनीतिक जीवन में घुल मिल गए हैं। जब कुछ आलोचकों ने कहा कि योजना के प्रति लोगों में उत्साह कम है तो मेरे विचार में वे तथ्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि आरम्भ में योजना के प्रति लोगों में उत्साह था परन्तु आज उन्होंने इसको हमारे विकास कार्य का एक अभिन्न अंग मान लिया है जिसके द्वारा हम देश में एक नई आर्थिक व्यवस्था लो रहे हैं।

हम नियोजित विकास का कार्य प्रजातंत्रीय ढाँचे के अन्तर्गत कर रहे हैं। योजना के उद्देश्यों पर वाद-विवाद, प्राथमिकता का चुनाव करना, इसके द्वारा हुई उपलब्धि पर वाद-विवाद करना इसी का एक अंग बन गया है। ये विवाद कभी-कभी उग्र रूप धारणा कर लेते हैं परन्तु इन चर्चाओं द्वारा ही हम लोगों में योजना के प्रति उत्साह बढ़ाते हैं जिसके बिना सुनियोजित योजना भी संभवतः अच्छा परिणाम नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार चतुर्थ योजना पर वाद-विवाद को अत्यधिक महत्व देती है।

हमें पुनः इस स्थिति में आ गए हैं जहां हम आर्थिक विकास नियोजित योजना के आधार पर करना चाहते हैं। हमने जो प्रगति की है उसका उचित मूल्यांकन करते समय उन कठिनाइयों को की ध्यान में रखना चाहिए जिसमें से होकर यह देश गुजरा है जैसे दो युद्धों की विभेदिका, कृषि उत्पादन में गिरावट, रक्षा तैयारियों के लिए साधनों का जुटाना आदि।

यह संभव है कि हम कई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि योजना को क्रियान्वित करने तथा उसको बनाने में कुछ कमियां रह गई हैं परन्तु हम चाहते हैं कि वे दुबारा न हो। मेरे विचार से केवल कमियों की ओर ही ध्यान देकर तथा वास्तविक उन्नति, जो की गई है, की उपेक्षा करके हम योजना के प्रति कोई लाभ नहीं पहुँचा रहे हैं।

हमारा खाद्य उत्पादन 1950-51 में 5 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 1967-68 में 9 करोड़ 60 लाख, टन हो गया है। इस प्रकार इसमें 88 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अभी यह मानसून की चंचलता पर निर्भर है। खाद्य उत्पादन में यह वृद्धि सिर्चाई सुविधाओं, रासायनिक उर्वरकों की बहुत उपलब्धता, सुधरे बीजों का प्रयोग, पौध संरक्षण कार्यक्रम अव्वनाने से हुआ है।

श्रीद्योगिक क्षेत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काफी उन्नति की गई है। विभिन्न मंत्रियों ने सभा में यह बात कही है।

इस सभा में तथा बाहर ‘योजना से अवकाश’ के बारे में काफी चर्चा हुई है। वास्तव में

ऐसा कोई अवकाश की बात नहीं थी। योजना एक नितन्तर प्रक्रिया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रैल 1966 से आरभ की जाने वाली थी परन्तु कृषि उत्पादन में गिरावट आने से इसको सक्रिय नहीं रखा जा सका। इसके स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गई इससे कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। लगभग 314 करोड़ रुपये छोटी सिंचाइ योजनाओं में व्यय किये गये जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समूचे पांच वर्षों में 270 करोड़ रुपये व्यय किये गये गए। विकास में किसी भी तरह का अनुरोध उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि अपेक्षित क्षेत्रों में उन्नति हुई है।

इसके पश्चात् लोक सभा दो बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen hours of the Clock.

लोक सभा सद्यान्ह भाजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट में पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past
Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I want to draw your attention to an incident. The Israel Government had asked the trade counsel of Israel at the time of funeral procession of Dr. Zakir Hussain. (*Interruption.*)

* * *

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसको कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं करना है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय को लिखकर भेज सकते हैं। श्री गृष्ण अपनी जगह बैठ जाएं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम सब जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता विकास को गति को बढ़ाना है जो कि सब समस्याओं का उत्तर है। यह समस्याएं बेरोजगारी, अर्द्धबेरोजगारी उद्योग की उपयोग में त लाई हुई क्षमता पिछङ्गे हुए क्षेत्र तथा समाज के वर्ग से सम्बन्धित है। हमें विकास में प्रयुक्त व्यय को बढ़ाना चाहिए परन्तु साथ ही साथ मूल्यों के स्थायित्व को भी बनाये रखना है।

इस योजना में आत्म निर्भरता पर अधिक जोर दिया गया है यह इस बात से स्पष्ट है कि रियायती शर्तों पर गेहूँ का आयात बन्द कर दिया गया है। और वास्तविक विदेशी सहायता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वर्तमान स्तर के आधे तक आ गई है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि हम स्वदेशी माल के उत्पादन में अधिक महत्व दे रहे हैं। हमारा ध्येय विकास के साथ सामाजिक न्याय भी प्रदान करना है। यह शीघ्र विकास से ही सम्भव है। सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब हम समाज के गरीब वर्ग से उपभोग के स्तर को बढ़ायेंगे और यह खाद्यान्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता से ही संभव है। इस योजना में यही निहित है।

***कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। यह प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में उत्पादिता बढ़ाने तथा पिछड़े वर्गों की अर्जन क्षमता बढ़ाने का एक अत्यन्त कारणार तरीका है।

योजना में विविध शीर्षों के अन्तर्गत सरकार व्यय में उचित वृद्धि दर की व्यवस्था की मई हैं। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह है कि यदि धन की अधिक व्यवस्था हो सकी तो कृषि पर योजना में की गयी धन की व्यवस्था से अधिक धन व्यय किया जायेगा। योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार सिचाई पर 963 करोड़ रुपये, मांवों में बिजली की व्यवस्था पर 363 करोड़ रुपये, लघु तथा कुटीर उद्योगों पर 36.25 रुपये ट्रैक्टरों, उर्वरकों अथवा उद्योगों तथा खनिजों 854.5 करोड़ रुपये और परिवहन तथा संचार पर 100 करोड़ रुपये व्यय किए जायेगे। इस प्रकार 'कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार' शीर्ष अंतर्गत 2217.5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में काश्तकारी कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, खेतिहर मजदूरों की व्युत्तम सज्जरी निर्धारित करना, छोटे किसानों के हित में सहकारी ममितियों अथवा बैंकों द्वारा क्रेण सम्बन्धी नीतियों को नई दिशा प्रदान करना अधिक आवश्यक है तथा औद्योगिक क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करने और जीवन बीमा निगम तथा वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की नीतियाँ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाने की अधिक आवश्यकता है।

देश के चहुंमुखी विकास के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि एक क्षेत्र का विकास करने और दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा करने से संतुलन बिगड़ जायेगा। इसीलिए दूसरी योजना में हमने औद्योग क्षेत्र के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ बनाने पर दिया था जिसमें सरकारी क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई थी। हम समझते हैं कि इसपात, मशीन निर्माण, पेट्रो-रसायन आदि आधारभूत उद्योग केवल सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किए जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के लिए 14,400 करोड़ रुपये तथा गैर सरकारी क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं यह पहले बता चुकी हूं कि हमने सरकारी क्षेत्र में जो पूँजी लगाई है उसके परिणाम अच्छे रहे हैं।

मैं यह पहले ही बता चुकी हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान पर अधिक बल दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस योजना में आय और धन में समानता हो, धन, सम्पदा तथा आर्थिक शक्ति के कुछ लोगों के पास एकत्रित होने को उत्तरोत्तर कम किया जाए तथा समाज के पिछड़े वर्गों को इस योजना में आर्थिक विकास का अधिक से अधिक लाभ मिले। हम यथासम्भव यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक, शैक्षणिक तथा ग्रन्थ हितों के विकास की विशेष ध्यान दिया जाये।

गैर सरकारी क्षेत्र को विकास का पूरा अवसर देने के साथ साथ हमें सामाजिक नियंत्रण

का भी ध्यान रखना है। इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सरकारी क्षेत्र को अधिक कार्य सौंपा गया है।

जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे कृषि कार्यक्रमों की क्रियान्विति से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में सहायता मिलती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। उद्योगों और परिवहन में अधिक पूँजी विनियोजन से लोगों को अधिक रोजगार मिल सकता है। कृषि उत्पादन तथा अन्य उत्पादन में हम जितनी अधिक वृद्धि करेंगे, उतनी ही वृद्धि हम, दिना मुद्रा स्फीति के, विनियोजन की दर में भी कर सकते हैं।

हमें अपनी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए तथा विदेशी सहायता पर विर्भरता कम करने के लिए अधिकाधिक साधन जुटाने होंगे। संसाधन जुटाने का उत्तरवायित्व केन्द्र तथा राज्यों पर समान रूप से होना चाहिए। यदि राज्य संसाधन जुटाने में अनाकानी करेंगे तो राष्ट्र की विकास की गति कम हो जायेगी।

योजना के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों के बारे में काफी विवाद रहा है। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार करने की छूट ही गई है। केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में निषेध कसौटी निर्धारित की है और अब राज्य-योजनाओं के आकांक्षा उनके संसाधनों पर निर्भर करेंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहा।

जहाँ तक आर्थिक विकास के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन का सम्बन्ध है, एक योजना की अवधि में सभी वर्तमान असंतुलनों को दूर करना सम्भव नहीं है। किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए प्रच्छा आरम्भ किया गया है। केन्द्रीय सहायता का दस प्रतिशत भाग केवल पिछड़े राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है और दूसरा दस प्रतिशत भाग राज्यों की विशिष्ट समस्याओं के लिए निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त परियोजनाओं के स्थान के चयन के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी स्वविवेक की गुंजाइश होगी, वहाँ उसे पिछड़े राज्यों के पक्ष में किया जायेगा। गैर सरकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी वांचू समिति ने इस प्रश्न का सविश्वार अध्ययन किया कि किस प्रकार लाइसेंस देने के सम्बन्धी नीतियों तथा वित्तीय संस्थाओं की नीतियों द्वारा स्थान के चयन सम्बन्धी निर्णयों पर प्रभाव ढाला जा सके। मुख्य मंत्रियों द्वारा उस प्रतिवेदन पर विचार किये जाने तथा उनके द्वारा अपने विचार दिये जाने के पश्चात् सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी।

यह योजना समूचे देश को एक इकाई के रूप में ध्यान में रख कर तैयार की है। यह योजना राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मिला जूला रूप है। इस योजना में यह व्यवस्था की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो काम किया जायेगा वह अधिकतर राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए होगा। अतः हमारी सफलता मिलजूलकर काम करने की क्षमता और सामर्थ्य पर निर्भर है। हमारा यह प्रयत्न है कि योजना में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए अधिकतम धन दिया जाये। बिना इसके हम वह आधार नहीं बना सकते जो कि देश के लिए अत्यावश्यक है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले सुझावों को कार्य रूप नहीं दिया जाता है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि सरकार द्वारा अपनी ही मर्जी से काम किया जाता है। यह ठीक है कि कई बार माननीय सदस्यों द्वारा क्रियान्वित करना कठिन हो जाता है क्योंकि हमें कई विचारों का समन्वय करके एक व्यापक डिफिक्यूण अपना कर आगे बढ़ाना पड़ता है। यदि हम अधिक लोगों को साथ रखना चाहे तो हमारे लिए कई विचारों का समन्वय करना आवश्यक हो जाता है। हम योजना में सभी क्षेत्रों का यथासम्भव विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह मानते हैं कि यह पूरी तरह आदर्श योजना नहीं है और इससे राज्यों अथवा राज्यों के भीतर की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं अतः इससे योड़ी बहुत निराशा होना अनिवार्य है। किन्तु हम यह समझते हैं कि हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यदि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लें तो हमारा आधार सुदृढ़ हो जायेगा और देश की स्थिति ठीक हो जायेगी। हम पिछली त्रिटियों से अनुभव प्राप्त करके सही कार्य करने का प्रयत्न करेंगे।

हमारे साधन जुटाने के लिए करों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है अतः अधिक कर लगाना अनिवार्य सा हो जाता है। विकास के साथ साथ हमारी संसाधन जुटाने की शक्ति भी बढ़ेगी और देश और अधिक उन्नति कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य स्थापन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री शिव चन्द्र भा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात् :—

“21 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये ‘चौथी पंचवर्षीय योजना 1970-74

—प्राप्त पर विचार करने के पश्चात, इस सभा की राय है कि—

- (क) योजना में आवोजन के किसी भी वैज्ञानिक दर्शन का सर्वथा अभाव है;
- (ख) इस योजना में अर्धव्यवस्था के शिखर, जैसे बैंकों, विदेश तथा आन्तरिक थोक व्यापार, इस्पात, नथा कोयले के राष्ट्रीयकरण की नितांत आवश्यकता का कोई संकेत नहीं है और इसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि भू-स्वामिस्व में नास्तविक परिवर्तन कैसा लाये जाये;
- (ग) योजना में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के योगदान के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है और एक और एक दस के अनुपात में आय सीमा सुरक्षा लागू की जाए;
- (घ) भारत में अमरीकी दूतावास द्वारा अधिकृत तथा प्रयुक्त पी०एल० 480 निषि तुरन्त जब्त कर ली जाए;
- (ङ) योजना में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि देश में सभी को रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे; और